तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल जज
	अपर जिला जज/सहायक कलेक्टर [illegible] उपस्थित। प्रतिवादी के विरुद्ध [illegible] तामील के उपरान्त नहीं हुई। [illegible] साक्ष्य वादी में [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] का आदेश [illegible] नहीं [illegible] पत्रावली वादी साक्ष्य की जाती। [illegible] दिनांक 7/10/2019 को पेश हो।
	[illegible] उपस्थित। वास्ते [illegible] [illegible] दिनांक [illegible]/2019 को पेश हो।
	[illegible]
	[illegible]
	अधि० [illegible] उप० [illegible] पुनी। वाद [illegible] का संक्षिप्त तथ्य है कि वादीगण व प्रतिवादी [illegible] एक ही परिवार के [illegible] है उनके कब्जे काश्त एवं [illegible] की स्थित आराजी खाता सं. 59 के [illegible] 4 रकबा 10.04 बीघा, 6 रकबा [illegible] बीघा, 7 रकबा 4.15 बीघा, 16 रकबा 16.04 बीघा [illegible] नारेड़ा के पेते [illegible] आराजियात खतौनी नं. 202 में दर्ज आ. [illegible] 7 रकबा 4.36 हैक्ट. 21 रकबा 0.07 हैक्ट. 104 रकबा 4.40 हैक्ट. कुल [illegible] 3 रकबा [illegible] हैक्ट. मौजे ग्राम [illegible] तहसील [illegible] में स्थित है। [illegible] पुत्र [illegible] के नाम [illegible] प्रतिवादी नं. 1 [illegible] के नाम दर्ज हुई [illegible] के वादीगण [illegible] [illegible] इसलिए [illegible] के वादीगण व प्रतिवादी [illegible] हिस्से भी वादीगण के लिये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6.6.2019 को आराजी अपने नाम लगवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया जिस पर उक्त दावा पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रतिवादी नं. 1 गोपी के नाम दर्ज हि०1/2 की आराजियात में वादीगण व प्रति० नं. 1 का बराबर-बराबर दर्ज करवाने के बे हकदार है अत: बाद वादीगण डिक्री किया जाकर उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं. 1 गोपी के नाम दर्ज 1/2 हि० में वादीगण को प्रत्येक को हि० 1/10 के तथा प्रति० नं. 1 को 1/10 हि० का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल करवाने तथा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वह उक्त आराजी में वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करें।	
	बाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादी जरिये समन की गयी। प्रतिवादी ने उप० होकर इकबालिया जवाब दिया, व राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।	
	वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खतौनी नं. 202 जमाबंदी सम्वत् 2071-74 ग्राम नारेड़ा प्रदर्श 1, किलाबंदी प्रदर्श 2, मालिक जमाबंदी सम्वत् 2037-40 प्रदर्श 3, आपत्ति दर्ज जमाबंदी प्रदर्श 4, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010-2024 प्रदर्श 5 पेश किये तथा बयानात वादी महावीर, गवाह रामदयाल, गवाह लालू के करवाये गये।	
	बहस अधि० उपस्थित सुनी गयी, जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाब के अनुसार रही। तथा निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-74 प्रदर्श 1 के अनुसार रामअवतार हि० 4/10, किशन हि० 1/10 तथा गोपी हि० 1/2 दर्ज है। अर्थात् प्रतिवादी नं. 1 के नाम 1/2 हि० दर्ज रिकार्ड है। मालिक जमाबंदी सम्वत् 2037-40 प्रदर्श 3 के अनुसार 1/2 हि० रामनारायण पुत्र लालू के नाम दर्ज होना जाहिर है जो कि वादीगण नं. 1 ता 3 का दादा है। प्रदर्श 4 के अनुसार जो कि खतौनी बन्दोबस्त की जमाबन्दी थी उसमें भी 1/2 हि० रामनारायण	1c

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

के नाम दर्ज रिकार्ड था। तथा सम्वत 2010-29 बतौर बन्दोबस्त नम्बर 5 के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी में वादीगण नं. 1 लगा. 3 के दादा ~~का~~ रामनारायण के नाम 1/2 हि० दर्ज है। वादीगण नं. 1 लगा. 3 सगे भाई-बहिन हैं जो कि प्रतिवादी नं. 1 गोपी के सगे पुत्र पुत्री होना जाहिर है। वादिया नं. 4 प्रतिवादी नं. 1 की पत्नी है, पति व पत्नि की एक ही यूनिट मानी जाती है। पति के जीवित रहते पत्नि हक नहीं ले सकती है। वादग्रस्त आराजियात का पैत्रक व मौरूसी होना जाहिर है। इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा पेश किया है। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते है। वादग्रस्त आराजियात पैत्रक होने के कारण प्रतिवादी नं. 1 के पुत्र पुत्री वादीगण का भी प्रतिवादी नं. 1 के समान हक हिस्सा है। जिसकी वे घोषणा खातेदारी करवाने के वे अधिकारी है।

लिहाजा वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 4.38 है०, 21 रकबा 0.09 है०, 104 रकबा 4.10 है० कुल किता 3 रकबा 8.57 है० वाके ग्राम नारेड़ा तहसील टोडारायसिंह में प्रतिवादी नं. 1 गोपी के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में वादीगण नं. 1 लगा. 3 को प्रत्येक को हि० 1/8 के तथा प्रतिवादी नं. 1 को हि० 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष अंकन बदस्तूर रहेंगे। बैंक ऋण चुकता होने तक रहन का अंकन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु प्रति डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना 2 वहन करेंगे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 5.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. [illegible])
उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)
RAS
SDO टोडारायसिंह